

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 336/2025

श्री वीरेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री भरत सिंह शेखावत, गांव लीलों की ढाणी, पोस्ट हुकमपुरा वाया टीटनवाड, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, पिन कोड 333012,, मो०न० 7742611108, 9001893108

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 01.09.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 12.08.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 336/2025 पर दिनांक 12.08.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/3842-43 दिनांक 12.08.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी ने पत्रांक आरटीआई/2025/689-690 दिनांक 28.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री वीरेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री भरत सिंह शेखावत, गांव लीलों की ढाणी, पोस्ट हुकमपुरा वाया टीटनवाड, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक सू०अ०अ०/2025/610 दिनांक 25.07.2025 के द्वारा ऑनलाईन एवं जरिये रजिस्टर्ड डाक के उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी द्वारा पत्रांक आरटीआई/2025/689-690 दिनांक 28.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री वीरेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री भरत सिंह शेखावत, गांव लीलों की ढाणी, पोस्ट हुकमपुरा वाया टीटनवाड, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक सू०अ०अ०/2025/610 दिनांक 25.07.2025 के द्वारा ऑनलाईन एवं जरिये रजिस्टर्ड डाक के उपलब्ध करवा दी गई है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा अस्पष्ट आवेदन प्रस्तुत करने के कारण उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है जिसके संबंध में प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 01.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ० अरुण गर्ग)

जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं